साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-28 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 21 अगस्त 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

सरकार द्वारा बना कानून कब शून्य हो सकता है जानिए

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

यह तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में हमे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जैसे कि-

1. समानता का अधिकार।
2. स्वतंत्रता का अधिकार।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5.संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

अगर कोई सरकार इन मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर किसी विधि का निर्माण करती है तब वह विधि प्रारम्भ से ही शून्य होगी जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 13 की परिभाषा–

कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करती है वह विधि शून्य(अवैध)होगी।

संविधान में निम्न प्रकार की विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है शून्य होगी जानिए–

* कोई स्थायी विधि जो किसी संसद या राज्य विधानसभा(विधानमंडल) द्वारा बनाई हो।
* कोई विधि जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा बनाई गई हो।
* कार्यपालिका विधान द्वारा बनाए गए आदेश, नियम,विनियम, अध्यादेश, उपविधि या अधिसूचना आदि।
* किसी वैध प्रथा, रूढ़ि, रीति रिवाजों पर बल रखने वाली विधि।

उपर्युक्त ऐसी विधि जो संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हनन करती है प्रारम्भ से ही शून्य होगी।

अवैध या शून्य विधि का मामला कहाँ दर्ज होगा जानिए

भारत का कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह डारेक्ट उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय(हाईकोर्ट) में मामला दर्ज करके सकते हैं।

ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल से भविष्य में प्रतिवर्ष 10 हजार युवा होंगे प्रशिक्षित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं के दृष्टिगत संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क भोपाल आने वाले समय में प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। वर्तमान में यह संस्थान प्रतिवर्ष 2 हजार युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान कर रहा है। वर्ष 2026 में 3 हजार युवा प्रशिक्षित होंगे। यह संख्या निरंतर बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में अभिमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी देश में निरंतर युवाओं के लिए बढ़ा रहे हैं अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। वे युवाओं के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सदैव हर क्षेत्र में कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। अब हमें इसके साथ ही अपनी क्षमता और बुद्धि के बल पर कौशल भी प्राप्त करना होगा। वर्तमान दौर में कौशल की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों ने प्रगति की है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीयों का हाथ जरूर रहता है। देश और प्रदेश की विकास यात्रा में संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज से करीब सौ- डेढ़ सौ साल पहले किसी कार्य करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। हम अपने कौशल और दक्षता के बल पर स्वावलंबन का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ रहे थे। तत्कालीन समय में धीरे-धीरे सर्विस सेक्टर बढ़ता गया और भारतीय प्रतिभाओं का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो सका। हमारे युवा अपने कौशल से बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस संस्थान में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अनेक राज्यों के विद्यार्थी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं।

संत रविदास ने भी कहा था, कौशल पर करें भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत रविदास जी महाराज का 650 वीं जयंती वर्ष चल रहा है। अपने कर्म के प्रति निष्ठा, समाज सुधार और निष्काम जीवन जीने सहित कई कारणों से हम उन्हें स्मरण करते हैं। संत रविदास जी ने अनेक भजन तैयार किए, जो कालजयी बने। संत रविदास जी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कौशल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। कौशल के प्रकटीकरण में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कौशल के माध्यम से अपना जीवन बेहतर बनाने और सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने में संत रविदास जी की अहम भूमिका थी। उन्होंने तत्कालीन समय में अस्पृश्यता जैसी अनेक चुनौतियां का सामना किया। उन्होंने राणा सांगा जैसे शासकों को अपना शिष्य बनने का अवसर दिया। वे अपने जीवन के मूल भाव को कभी नहीं भूले।

कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क का प्लेसमेंट 98.9 प्रतिशत होना एक उपलब्धि है। यहां विश्व स्तरीय, बहुभाषीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जीवन के कई रहस्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। बदले दौर में टेक्नोलॉजी तेजी से परिवर्तित हो रही है और हमारे युवा भी कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को सशक्त बना रहे हैं। युवा अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता के बलबूते पर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारा काम और उसे करने की इच्छा शक्ति ही मुकाम तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों को सम्मानजनक रोजगार से जुड़ने और विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने के लिए शुभकामनाएं दीं।

MP-PSCP Act 28 - अवैध कॉलोनी में मकान बनाने पर कितने साल की जेल होती है, यहां पढ़िए

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

जब कोई व्यक्ति कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किए बिना भूमि का उपयोग परिवर्तन कर देता है या बिना एनओसी प्राप्त कॉलोनी निर्माण करता है अर्थात कॉलोनी में प्लाट काटता है और प्लाट काटकर मकान का निर्माण करता है तब यह अपराध किस प्रकार का होगा जानिए।

मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1992 की धारा 28 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जमीन के उपयोग का अवैध परिवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण करके किसी भी क्षेत्र में भवन निर्माण करता है वह व्यक्ति अवैध भवन निर्माण के अपराध का दोषी होगा।

Madhya Pradesh Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1982 Section 28 Punishment

दण्ड का प्रावधान– यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है,पुलिस अधिकारी तुरंत एफआईआर द्वारा मामले का संज्ञान लेगा, इनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा किया जा सकता है सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

आध्यात्मिक विभूति थे स्वामी चिन्मयानंदजी महाराज : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी श्री चिन्मयानंदजी महाराज एक महान संत, विचारक और आध्यात्मिक विभूति थे। उनके मार्गदर्शन में देशभर में भारतीय संस्कृति विशेषकर श्रीमद्भगवद्गीता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही चिन्मय अमृत यात्रा के 75 साल पूरे हो गए हैं। स्वामी चिन्मयानंदजी का भारतीय समाज एवं युवाओं के नैतिक विकास और हमारी संस्कृति की स्तुत्य धरोहर %गीता% के प्रचार-प्रसार में दिया गया योगदान हम सबके हृदय में सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद मिशन द्वारा विश्व हिंदु परिषद की स्थापना सहित देशभर में कई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित हमारी सामाजिक परम्पराओं को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मिशन के सभी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम सब स्वामी चिन्मयानंद जी की बताए सत्मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को चिन्मय अमृत यात्रा के भोपाल से प्रस्थान पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्वामी चिन्मयानंद मिशन के हेड (संरक्षक) स्वामी श्री मित्रानंद सरस्वती जी महाराज एवं मिशन के अन्य अनुयायी भी उपस्थित थे।

ब्रेन-डेड अंगदाता ने दिया तीन मरीजों को जीवन,अंगदान का संकल्प दे सकता है कई लोगों को नया जीवन

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मानवता, करुणा और संवेदनशीलता की एक मिसाल पेश करते हुए बैतूल निवासी - 24 वर्षीय, सुनील बोसमाकर के परिजनों ने उनके दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के बाद अंगदान का महान निर्णय लिया। सुनील स्वयं जीवन की जंग नहीं जीत सके, लेकिन उनके परिजनों ने उनके अंगों के माध्यम से अन्य जरूरतमंद मरीजों को जीवन का अनमोल उपहार देने का साहसिक निर्णय लिया। सड़क दुर्घटना के बाद सुनील को एम्स भोपाल लाया गया। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें ब्रेन-डेड घोषित किया गया। इस अत्यंत दुःखद और भावुक क्षण में उनके परिवार ने असाधारण साहस और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए अंगदान की सहमति प्रदान की। आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण एवं समन्वय के बाद सुनील का लिवर तथा दोनों किडनी सफलतापूर्वक निकाली गईं। इनमें से लिवर और एक किडनी का प्रत्यारोपण एम्स भोपाल में किया गया, जबकि दूसरी किडनी प्रत्यारोपण हेतु बंसल अस्पताल, भोपाल को आवंटित की गई। दूसरी किडनी को निर्धारित समय सीमा में सुरक्षित रूप से बंसल अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्स भोपाल से बंसल अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पुलिस, यातायात विभाग, चिकित्सा दल एवं दोनों अस्पतालों के समन्वित प्रयासों से अंग को सुरक्षित एवं शीघ्रता से गंतव्य तक पहुंचाया गया। यह एम्स भोपाल में ब्रेन-डेड डोनर से किया गया चौथा अंगदान है। यह उपलब्धि संस्थान की मृतक अंगदाता से अंग प्रत्यारोपण की दिशा में बढ़ती प्रतिबद्धता और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति को दर्शाती है।यह अंगदान केवल एक चिकित्सकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और मानवता की एक भावपूर्ण कहानी है। जिस समय सुनील का परिवार अपार दुःख से गुजर रहा था, उस समय उनके अंगदान के निर्णय ने कई परिवारों में नई आशा और जीवन की नई किरण जगाई। एम्स भोपाल ने सुनील के परिजनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया और उनके इस निःस्वार्थ एवं साहसपूर्ण निर्णय को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। उनके इस महान कार्य ने एक अपार व्यक्तिगत त्रासदी को जीवन की विरासत में बदल दिया है।सुनील आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए अंगों के माध्यम से उनका जीवन और उनकी विरासत कई अन्य जिंदगियों में हमेशा जीवित रहेगी। एम्स भोपाल समाज के सभी लोगों से अपील करता है कि वे आगे आएं और अंगदान का संकल्प लें। एक छोटा-सा निर्णय कई जिंदगियों को बचा सकता है और किसी परिवार के दुःख को आशा में बदल सकता है।

BPL खाते में 9 करोड़ के लेंन देंन के मामले में में आयकर विभाग ने मारा छापा, हुंडई शोरूम से जुड़ा मामला

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

कोतमा नगर में आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम पुलिस बल के साथ नगर पहुंची और वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले में चार लोगों को पूछताछ के लिए जनपद पंचायत कार्यालय ले गई। यहां उनके बैंक खातों, आय के स्रोत, संपत्तियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में सबसे अधिक चर्चा एक ऐसे बैंक खाते को लेकर है, जिसमें 9 करोड़ रुपये से अधिक के कथित लेन-देन होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में बीपीएल राशन कार्डधारक के रूप में दर्ज है। हालांकि, इस संबंध में आयकर विभाग या प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सुबह 8 बजे पहुंची आयकर की टीम

प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग एवं पुलिस की टीम बुधवार सुबह करीब 8 बजे कोतमा पहुंची। इसके बाद चार लोगों से पूछताछ शुरू की गई। कार्रवाई की जानकारी फैलते ही नगर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

हुंडई शोरूम की जमीन जांच के दायरे में

प्रारंभिक जानकारी में कोमल नामक व्यक्ति का नाम सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका संबंध कोतमा नगर क्षेत्र स्थित हुंडई शोरूम की जमीन से भी है। हालांकि जमीन के स्वामित्व और बैंक लेन-देन से संबंधित तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

दस्तावेजों की जांच के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर

आयकर विभाग द्वारा फिलहाल मामले में गोपनीयता बरती जा रही है। बैंक खातों, संपत्तियों, आय के स्रोत और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसमें आय से संबंधित कोई विसंगति या वित्तीय अनियमितता है या नहीं।

संभागायुक्त ने किया मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो का निरीक्षण परियोजना की प्रगति की ली जानकारी

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को सुभाष नगर स्थित मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ख्र्क्रम्ब्रुह) के डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त ने भोपाल मेट्रो परियोजना की प्रगति, परिचालन व्यवस्था एवं निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। संभागायुक्त ने डिपो परिसर में परिचालन प्रणाली एवं विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्हें मेट्रो परियोजना के वर्तमान निर्माण कार्यों, संचालन संबंधी व्यवस्थाओं तथा आगामी कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रबंध संचालक श्री एस. कृष्ण चैतन्य ने परियोजना की प्रगति एवं निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की. इस दौरान उन्होंने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं परिचालन प्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने मेट्रो संचालन में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों तथा सुरक्षा मानकों की जानकारी प्राप्त की और परियोजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन की सराहना की।

भोपाल में आयोजित होगी भव्य'आर्मी डे परेड'कलेक्टर ने समय-सीमा में व्यवस्थाएं पूर्ण करने के दिए निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

राजधानी भोपाल में 15 जनवरी, 2027 को भव्य 'आर्मी डे परेडङ्ग2027' आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन की पूर्व तैयारियों और अंतर-विभागीय समन्वय के संबंध में बुधवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारतीय सेना के कर्नल सुब्रत मिश्रा, कर्नल सनी जुनेजा, अपर कलेक्टर श्री महेंद्र कवचे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश और राजधानी भोपाल के लिए आर्मी डे परेड की मेजबानी करना अत्यंत गौरव का अवसर है। यह आयोजन 'आपकी सेना आपके पास' की अवधारणा को साकार करने के साथ ही सैन्य और नागरिक तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन की गरिमा के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। कर्नल सुब्रत मिश्रा ने आयोजन की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्य 'आर्मी डे परेड' भेल स्थित कालीबाड़ी मार्ग पर आयोजित होगी। टीटी नगर स्टेडियम में देशभक्ति से ओत-प्रोत भव्य 'शौर्य संध्या' का आयोजन किया जाएगा। जंबूरी मैदान में भारतीय सेना के अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का 'स्टेटिक एवं डायनेमिक डिस्प्ले' प्रदर्शित होगा। वहीं, बड़ा तालाब स्थित वीआईपी बोट क्लब क्षेत्र में सेना के शौर्य, सामरिक क्षमता और रणनीतिक कौशल पर आधारित 'इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले' आयोजित किया जाएगा। कर्नल मिश्रा ने आयोजन को सफल बनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन और भोपाल जिला प्रशासन से निरंतर सामंजस्य, समन्वय एवं सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। परेड एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों में लगभग 50 हजार दर्शकों की उपस्थिति संभावित है। इसे ध्यान में रखते हुए सुचारू यातायात प्रबंधन, आवश्यक रूट डायवर्जन, पर्याप्त दर्शक बैठक व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा और निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।जिला सड़क सुरक्षा समिति को परेड से जुड़े मार्गों एवं आवागमन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोजन में भाग लेने वाले सैन्य दस्तों के गरिमापूर्ण ठहराव एवं आवास प्रबंधन के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पूजा एवं हवन सामग्री वाले घी की जब्ती, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुमेराती बाजार से लिया नमूना

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूजा एवं हवन सामग्री के रूप में विक्रय किए जा रहे घी की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा नेहा पूजा सेंटर, जुमेराती रात्रि, भोपाल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूजा में उपयोग हेतु विक्रय किए जा रहे पूजा घी की भारी मात्रा में उपलब्धता पाई गई। कार्रवाई के दौरान निम्न पूजा घी जब्त किया गया कुल जब्त सामग्री का मूल्य ?2,860 मौके से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पूजा घी का विधिवत नमूना लिया गया, जिसे परीक्षण हेतु अधिकृत खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्राप्त खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूजा एवं हवन सामग्री की दुकानों पर विक्रय किए जा रहे घी की गुणवत्ता की विशेष रूप से जांच की जा रही है। यह भी सुनिश्चित

किया जा रहा है कि पूजा में प्रयुक्त होने वाले घी के नाम पर ऐसे उत्पादों का विक्रय न हो, जिनमें वनस्पति वसा, पशु वसा अथवा अन्य अवांछित वसा की मिलावट हो। विभाग द्वारा जुमेराती रात्रि सहित भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में पूजा एवं हवन सामग्री की दुकानों पर जांच एवं नमूना कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा की जा रही है।

रेलवे की बदहाली पर यात्रियों का फूटा गुस्सा 32 किमी के सफर में 35 किराया, ट्रेनें घंटों लेट, कोतमा स्टेशन का शौचालय निर्माण के बाद से ही बंद

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

कोतमा। बिलासपुर रेल जोन के अंतर्गत आने वाले अनूपपुर जंक्शन चिरमिरी अंबिकापुर रेल मार्ग पर यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेनें तीन तीन, चार-चार घंटे देरी से चल रही हैं और दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत यात्री सुविधाओं का बुरा हाल है। हालात ऐसे हैं कि कोतमा स्टेशन पर बनाया गया शौचालय जब से बना है, तब से आज तक उसका ताला ही नहीं खुलाभौगोलिक संदर्भ यात्रियों का कहना है कि रेलवे किराया लगातार लिया जा रहा है, लेकिन बदले में सुविधाएं देने के नाम पर यात्रियों को इंतजार, अव्यवस्था और परेशानी ही मिल रही है। अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस में कोतमा से अनूपपुर जंक्शन की लगभग 32 किलोमीटर की दूरी का किराया ?35 है, लेकिन समय की पाबंदी और यात्री सुविधाओं की स्थिति देखकर सवाल उठता है कि आखिर यात्रियों को मिल क्या रहा है? ट्रेन का इंतजार या मालगाड़ी की गिनती?

यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर है। तीन से चार घंटे तक ट्रेनें विलंब से चलने के कारण यात्रियों का पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। यात्रियों में यह नाराजगी भी है कि यात्री ट्रेनें समय पर नहीं चलतीं और उन्हें घंटों स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है।

यात्री कहते हैं कि यात्री ट्रेन का इंतजार करने के बजाय स्टेशन पर निकलती मालगाड़ियों की गिनती करते रहते हैं यही व्यवस्था रह गई है

बनाया शौचालय, लेकिन यात्रियों के लिए ताला !

कोतमा स्टेशन की सबसे गंभीर समस्या शौचालय को लेकर सामने आ रही है। यात्रियों के अनुसार, शौचालय बनने के बाद से ही उसका ताला नहीं खोला गया। यानी सुविधा के नाम पर निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन यात्रियों को उसका इस्तेमाल करने का अधिकार तक नहीं मिला। सवाल यह है कि जब शौचालय यात्रियों के लिए बनाया गया था तो उसे बंद रखने का औचित्य क्या है? क्या रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी यह जांचने की जरूरत समझी कि यात्री इस सुविधा का इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं ?

स्टेशन परिसर में शराबी और भिखारियों का जमावड़ा! यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्र में भिखारियों के साथ साथ शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। यात्रियों के मुताबिक, गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जीआरपी और आरपीएफ की मौजूदगी तथा निगरानी व्यवस्था पर उठता है। यात्रियों का कहना है कि जब स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है, तब जिम्मेदार सुरक्षा बल दिखाई नहीं देते। न पानी की भरोसेमंद व्यवस्था, न साफ सफाई स्टेशन पर साफ-सफाई और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी यात्रियों में भारी नाराजगी है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और नियमित सफाई जैसी सुविधाएं कोई विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरत हैं।

स्थायी सड़क निर्माण की मांग के बीच नगर परिषद ने कराया तत्काल राहत का काम, आवागमन हुआ सुगम

राजनगर/बनगांव।

नगर परिषद बनगांव के वार्ड क्रमांक 15 अंतर्गत भलमुड़ी क्षेत्र में शांति नगर से भलमुड़ी तक जाने वाली सड़क लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। बारिश के मौसम में सड़क की हालत और खराब हो जाने से यहां से गुजरने वाले विद्यार्थियों, मरीजों और नगरवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को देखते हुए नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह के निर्देश पर तत्काल राहत के तौर पर सड़क पर काली डस्ट और गिट्टी डलवाकर मार्ग को आवागमन योग्य बनाने का कार्य कराया गया है।

यह सड़क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मार्ग मानी जाती है, क्योंकि इसी मार्ग से महाविद्यालय छात्रावास, बालक उत्तर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों तक विद्यार्थी, मरीज और नगरवासी पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में सड़क पर कीचड़ और गड्ढों के कारण पैदल चलने के साथ ही दोपहिया और अन्य वाहनों से आवागमन भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में सड़क पर डाली गई काली डस्ट और गिट्टी से फिलहाल लोगों को काफी राहत मिली है।

लंबे समय से स्थायी निर्माण की उठ रही मांग

स्थानीय नागरिकों के अनुसार शांति नगर से भलमुड़ी तक सड़क निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जाती रही है। सड़क के स्थायी निर्माण को लेकर विभिन्न अवसरों पर मंच से आश्वासन भी दिए गए,

लेकिन लंबे समय तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका। बारिश शुरू होने के बाद मार्ग की स्थिति और खराब होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय और छात्रावास तक पहुंचने में परेशानी होती थी, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मार्ग की खराब स्थिति का असर दैनिक आवागमन पर भी पड़ रहा था।

15 अगस्त के कार्यक्रम में भी उठा था मुद्दा

बताया गया कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान भी मंच से इस सड़क की समस्या को लेकर चर्चा हुई थी और तत्काल तौर पर गिट्टी एवं डस्ट डालकर मार्ग को आवागमन योग्य बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद नगर परिषद द्वारा बारिश के बीच सड़क पर काली डस्ट और गिट्टी डालने का कार्य कराया गया।

नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह ने कहा कि सड़क पर डस्ट और गिट्टी डालने का कार्य फिलहाल लोगों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से कराया गया है। उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस मार्ग का स्थायी और बेहतर निर्माण कराया जाए, जिससे बारिश के मौसम में बार-बार उत्पन्न होने वाली समस्या से लोगों को स्थायी रूप से निजात मिल सके।

पूर्व में भी उठ चुकी है सड़क निर्माण की मांग

गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 15 की इस सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा भी पूर्व में वीडियो साझा कर सड़क निर्माण की मांग उठाई गई थी। लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा भी लगातार आवाज उठाई जाती रही है।

फिलहाल नगर परिषद द्वारा किए गए तत्काल राहत कार्य से क्षेत्र के लोगों में संतोष और खुशी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भारी बारिश के बीच सड़क पर काली डस्ट और गिट्टी डाले जाने से पहले की तुलना में आवागमन काफी सुगम हुआ है। हालांकि नागरिकों की मुख्य मांग अब भी सड़क के स्थायी निर्माण की है, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान फिर से इसी समस्या का सामना न करना पड़े।

झाड़-फूंक के चक्कर में गई किसान की जान, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

सिलवानी। क्षेत्र में अंधविश्वास और समय पर उपचार नहीं मिलने का एक दुखद मामला सामने आया है। 14 अगस्त की सुबह सिलवानी के चुनहेटिया निवासी किसान अरविंद अहिरवार को खेत में धान की फसल में पानी देते समय सर्प ने डस लिया। उपचार के लिए अस्पताल जाने के बजाय परिजन झाड़-फूंक और घरेलू उपचार में लगे रहे। हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, अरविंद अहिरवार रोज की तरह 14 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे खेत पर धान की फसल में पानी देने गए थे। पानी का पाइप उठाते समय उनके हाथ में सांप ने डस लिया। सर्पदंश के बाद समय रहते अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया गया। इस दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। अरविंद अहिरवार की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वे अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सर्पदंश जैसे गंभीर मामलों में अंधविश्वास और झाड़-फूंक के बजाय तत्काल चिकित्सकीय उपचार कितना जरूरी है।

अहिरवार समाज संघ, मध्य प्रदेश में एडवोकेट मोहन अहिरवार जिला अध्यक्ष, भोपाल नियुक्त

भोपाल।

प्रदेश ब्यूरो÷ अतर सिंह भारतीय। अहिरवार समाज संघ, मध्य प्रदेश द्वारा समाज के संगठनात्मक विस्तार एवं सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट मोहन अहिरवार को अहिरवार समाज संघ, मध्य प्रदेश का जिला अध्यक्ष, भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया है।

नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्तंभ, छावनी पठार, भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट मोहन अहिरवार जी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहिरवार एवं सामाजिक कार्यकर्ता व सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर द्वारा नियुक्ति पत्र भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई।

नव नियुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहन अहिरवार ने कहा कि वे समाज की एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करेंगे। बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों ÷शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित

रहो÷ को आधार बनाकर भोपाल जिले में संगठन को और मजबूत किया जाएगा।

समाज के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भोपाल जिले में समाज हित के विभिन्न कार्यक्रम, बैठकें एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, महिला एवं युवा उपस्थित रहे। सभी ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से डॉ बी आर अंबेडकर समिति, मंगल मैत्री बौद्ध विहार एवं मॉनेस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भंते जगदीश आनंद जी, सरपंच प्रतिनिधि बीरू सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ मंजू दीपांकर, प्रदेश प्रवक्ता अतर सिंह भारतीय व अन्य समाज सेवी रहे।

युवा कांग्रेस चुनाव: 30 अगस्त से शुरू होगी सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के आगामी संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस एमसीबी जिला अध्यक्ष हफीज मेमन ने जिले के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और इच्छुक सदस्यों से निर्धारित समय सीमा के भीतर सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्य पूर्ण करने की अपील की है जारी सूचना के अनुसार युवा कांग्रेस की चुनावी सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया 30 अगस्त से प्रारंभ होकर 29 सितंबर की शाम 5 बजे तक चलेगी। इस अवधि में युवा कांग्रेस से जुड़ने के इच्छुक युवाओं तथा वर्तमान सदस्यों को संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्यवाही पूरी करनी होगी। जिला अध्यक्ष हफीज मेमन ने युवा कांग्रेस के सभी साथियों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक चुनाव युवाओं को लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में अपनी भूमिका निभाने और नेतृत्व के अवसर प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में अधिक से अधिक योग्य और इच्छुक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सदस्यता और चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना समय पर पूरी करें ताकि किसी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रक्रियागत परेशानी का सामना ना करना पड़े युवा कांग्रेस जिला संगठन ने इस अवसर पर जिले के अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने पर भी जोर दिया है। संगठन का उद्देश्य युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाते हुए जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करना है। जिला अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं को संगठन की विचारधारा, गतिविधियों और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दें तथा इच्छुक युवाओं को सदस्यता प्रक्रिया से जोड़ने के लिये सक्रिय भूमिका निभाएं उन्होंने सभी युवा कांग्रेस साथियों से अपील करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सदस्यता एवं चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्य पूर्ण करें और अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने में सहयोग करें। सूचना के माध्यम से संगठन ने चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम युवा सहभागिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया है।

मध्यप्रदेश में छात्रावासों की बदहाली: शिक्षा के सपनों के बीच संघर्ष करते विद्यार्थी

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की स्थिति को लेकर लगातार सामने आ रही खबरें और शिकायतें बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक हैं। जिन छात्रावासों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का सहारा, सुरक्षित आवास और बेहतर भविष्य की आधारशिला बनना चाहिए, उन्हीं छात्रावासों में अनेक विद्यार्थी आज मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश के किसी न किसी जिले से लगभग निरंतर छात्रावासों की अव्यवस्था, जर्जर भवन, भोजन, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव की खबरें प्रतिदिन सामने आती रहती हैं। कहीं विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय और कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं तो कहीं घंटों तेज धूप में बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने और अपना आवेदन देने की प्रतीक्षा करते हैं। उनके हाथ में कोई विशेष सुविधा या विलासिता की मांग नहीं होती बल्कि अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों से संबंधित आवेदन होता है। विडंबना यह है कि..जिन विद्यार्थियों का बहुमूल्य समय पढ़ाई, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगना चाहिए, उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार अधिकारी से संवाद के लिए भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों की उम्मीदों और आत्मसम्मान के लिए भी पीड़ादायक है। ग्रामीण, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले अनेक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुँच का महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार की सीमित आर्थिक परिस्थितियों के बीच ये विद्यार्थी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। उनके माता-पिता अनेक कठिनाइयों के बावजूद

अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ने भेजते हैं कि शिक्षा उनके जीवन की दिशा बदलेगी। ऐसे में छात्रावास की खराब व्यवस्था का असर केवल वर्तमान सुविधा पर नहीं पड़ता बल्कि विद्यार्थी की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, सुरक्षा और भविष्य तक पहुँचता है। सबसे अधिक चिंता तब होती है..जब छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं से जुड़ी ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि उनसे रोटियां बनवाई जाती हैं और भोजन तैयार करने जैसे कार्य कराए जाते हैं। अनेकों ट्राईवल क्षेत्र के कन्या छात्रावास में अधीक्षकों के द्वारा छात्राओं से इस प्रकार का कार्य कराया जा रहा है, यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छात्राएँ छात्रावास में पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य का निर्माण करने आती हैं। उनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, न कि व्यवस्था की कमी के कारण उन्हें छात्रावासों के रसोई में खड़े होकर रोटियां बनाने के लिए मजबूर होना पड़े। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब छात्रावासों में भोजन व्यवस्था के लिए बजट, संसाधन और जिम्मेदार व्यवस्था निर्धारित है, तो छात्राओं से भोजन तैयार करने का कार्य क्यों कराया जा रहा है? ऐसी शिकायतों को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कन्या छात्रावासों में छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा, गरिमा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न छात्रावास योजनाओं में विद्यार्थियों को आवास, भोजन, बिजली-पानी, फर्नीचर, बिस्तर, पुस्तकालय और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है? यदि व्यवस्था पर्याप्त है तो विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं के लिए कलेक्ट्रेट क्यों पहुँच रहे हैं? यदि निरीक्षण नियमित हैं तो जर्जर भवन, भोजन की समस्या, स्वच्छ पेयजल जल की कमी और अन्य अव्यवस्थाएँ समय रहते क्यों नहीं सुधारी जातीं? यदि बजट उपलब्ध है तो उसका प्रभाव छात्रावासों की वास्तविक जमीनी स्थिति में दिखाई क्यों नहीं देता? यह स्थिति केवल किसी एक अधिकारी या किसी एक छात्रावास की समस्या मानकर टाल देना उचित नहीं होगा। यह पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का प्रश्न है। सरकार को प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों की वास्तविक स्थिति का व्यापक भौतिक एवं सामाजिक ऑडिट कराना चाहिए। प्रत्येक छात्रावास की भवन स्थिति, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, भोजन, शौचालय, सुरक्षा, फर्नीचर, अध्ययन सुविधा, कर्मचारियों की उपलब्धता और बजट के उपयोग की स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए। विशेष रूप से कन्या छात्रावासों में छात्राओं से भोजन बनाने अथवा अन्य श्रम कराने संबंधी शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रावासों की शिकायतों के लिए केवल कागजी व्यवस्था न हो, बल्कि ऐसी प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली हो जहाँ विद्यार्थी बिना किसी भय या दबाव के अपनी समस्या दर्ज करा सकें और निश्चित समय सीमा में उसका समाधान हो। शिकायत करने वाले विद्यार्थी को ही समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराने या उसकी आवाज दबाने के बजाय शिकायत को व्यवस्था सुधारने का अवसर माना जाना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक और संवेदनशील शासन की वास्तविक परीक्षा इस बात से होती है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है।अनुसूचित जाति,जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी किसी कृपा या दया के पात्र नहीं बल्कि वे भी इसी समाज और इसी संविधान के नागरिक हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित वातावरण तथा शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जिस विद्यार्थी को किताब लेकर कक्षा में होना चाहिए, यदि वह अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर घंटों धूप में बैठा है, तो यह केवल उस विद्यार्थी की परेशानी नहीं है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न है। जिस छात्रा के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, यदि वह व्यवस्था की कमी के कारण रोटियां बनाने के लिए मजबूर है, तो यह केवल एक छात्रावास की कहानी नहीं, बल्कि उन व्यवस्थागत कमियों का आईना है जिन्हें अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों की आवाज को बार-बार आवेदन लेकर आने वाली भीड़ समझने के बजाय उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना होगा। उन्हें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए, निरीक्षण की औपचारिकता नहीं, व्यवस्था में वास्तविक बदलाव चाहिए। जर्जर छात्रावासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण, गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण और अध्ययन की सुविधाएँ सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रावासों को ऐसा विकसित किया जाए जहाँ विद्यार्थी अपने भविष्य के सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने के लिए एकाग्रता से पढ़ सकें। उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करने, अधिकारियों के चक्कर लगाने और व्यवस्था की कमियों का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े। कब तक विद्यार्थी किताबों की जगह शिकायतों का बोझ उठाते रहेंगे? मध्यप्रदेश के छात्रावास मजबूरी का ठिकाना नहीं..विद्यार्थियों के सपनों की सुरक्षित नींव बनें। क्योंकि किताबों की उम्र में जब विद्यार्थी शिकायतों का बोझ उठाने लगे, तो सवाल केवल व्यवस्था का नहीं..सामाजिक न्याय की संवेदनशीलता का है।

??÷कुमारी प्रियंका÷

[लेखिका- सामाजिक कार्यकर्ता-चिंतक]

संघर्ष से सफलता तक: डॉ. अशोक आज़ाद को RNT भोपाल से विधि में पीएच.डी. की उपाधि

शिक्षा, साहित्य, शोध और समाजसेवा के क्षेत्र में निरंतर उपलब्धियों का प्रेरणादायी सफर

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

भोपाल। ÷सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, अनुशासन, अध्ययन और निरंतर प्रयासों की पहचान होती है।÷ इस विचार को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक आज़ाद ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। उन्हें रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (ऋह्ल), भोपाल द्वारा विधि विषय में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है। डॉ. अशोक आज़ाद की यह उपलब्धि केवल एक शैक्षणिक उपाधि नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प, ज्ञान के प्रति समर्पण और निरंतर आगे बढ़ने की जिजीविषा का परिणाम है। उन्होंने शिक्षा, विधि, साहित्य और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाई है।

उपलब्धियों से भरा प्रेरणादायी सफर

डॉ. अशोक आज़ाद इससे पूर्व भी विभिन्न शैक्षणिक एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ अर्जित कर चुके हैं। उन्हें जर्मनी से ष्ठ.स्ह्लह्ल. तथा *दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि/सम्मान प्राप्त हुआ है। सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 250 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी उपलब्धियों की यह श्रृंखला यह संदेश देती है कि यदि व्यक्ति के भीतर सीखने की ललक, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प हो, तो परिस्थितियाँ उसकी राह में स्थायी बाधा नहीं बन सकतीं।

साहित्य में भी बनाई अलग पहचान

विधि और शिक्षा के साथ-साथ डॉ. अशोक आज़ाद ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी चर्चित साहित्यिक कृति 'काव्य नगरी' पर विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य किया जा रहा है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोधार्थी उनकी साहित्यिक कृतियों का अकादमिक अध्ययन कर रहे हैं।

उनके लेख, शोधपत्र एवं साहित्यिक रचनाएँ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध मंचों तथा प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज, संवेदना और मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्ति देने का निरंतर प्रयास किया है।

शिक्षा को बनाया समाज परिवर्तन का माध्यम

डॉ. अशोक आज़ाद का व्यक्तित्व केवल डिग्रियों और पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को समाज के विकास का माध्यम मानते हुए विद्यार्थियों, शोधार्थियों और युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरित करने का प्रयास किया है। विधि में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करना उनके अकादमिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी शोधपरक सोच और बहुआयामी अध्ययन का उद्देश्य केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञान की रोशनी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।

युवाओं के लिए प्रेरणा

डॉ. अशोक आज़ाद की जीवन यात्रा यह संदेश देती है कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े संसाधनों से अधिक बड़ी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत की आवश्यकता होती है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति यदि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो एक ही जीवन में अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उनकी पीएच.डी. की उपलब्धि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका सफर बताता है कि रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति मंजिल अवश्य प्राप्त करता है।

बधाइयों का सिलसिला

डॉ. अशोक आज़ाद को विधि में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त होने पर शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं देश-विदेश के शुभचिंतकों ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उनकी इस उपलब्धि को शिक्षा, विधि, साहित्य, शोध एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

डॉ. अशोक आज़ाद की यात्रा केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है कि ज्ञान, संघर्ष और संकल्प के बल पर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ सकता है। उनकी यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को निरंतर सीखने, आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती रहेगी।

'सद्भावना दैनिक जीवन का आधार हो' - शासकीय विधि महाविद्यालय में मनाया गया सद्भावना दिवस

नर्मदापुरम 7 संवाददाता बीआर अहिरवार

शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में सद्भावना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एनएसएस के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष शिवाकांत मौर्या ने कहा कि सद्भावना केवल एक दिन तक सीमित रहने वाली भावना नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का आधार होनी चाहिए। विविधताओं से भरे भारत में आपसी सम्मान, सहयोग और भाईचारा ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समरसता का वातावरण बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।

एनएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार पटेल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य स्वयंसेवकों में सेवा, सहयोग और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है।

पौधारोपण कर मनाया दिवस

सद्भावना दिवस के अवसर पर सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के बाद एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने ग्राम बुधवाड़ा में पौधारोपण किया। विद्यार्थियों ने करंजी, पलाश और नीम के पौधे लगाए और उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बरसात के मौसम का भरपूर आनंद लें लेकिन जरूरी सावधानियां जरुर बरतें

बारिश का मौसम सुहाना तो होता है, लेकिन साथ में मच्छर, पानी और गंदगी की वजह से बीमारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। अहिरवार समाज संघ जैसे संगठन गांव-गांव में ये जागरूकता फैला सकते हैं।

बारिश के मौसम में समाज को ऐसे सचेत रहना चाहिए-

1. पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव

- पीने का पानी- हमेशा उबला हुआ या आर ओ का पानी पिएं। टंकी, मटके और बर्तन को बार - बार साफ करें।
- हाथ की सफाई- खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से 20 सेकंड तक अवश्य हाथ धोएं।
- बासी खाना न खाएं- कटी हुई सब्जी, खुली मिठाई और बाहर का कटा फल से परहेज करें। हैजा, टाइफाइड और डायरिया का सबसे बड़ा कारण यही है।

2. मच्छरों से बचाव - डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया

- ÷सुखा वार÷ अभियान- सप्ताह में किसी एक दिन या वार को घर के कूलर, गमले, टायर, छत की टंकी में जमा पानी खाली करें। मच्छर यहीं पनपते हैं।
- पूरी बांह के कपड़े- खासकर सुबह-शाम बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं।
- मच्छरदानी/कॉइल- सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं।

3. त्वचा और सर्दी-जुकाम से बचाव

- भीगने के बाद- बारिश में भीग जाएं तो तुरंत कपड़े बदलें और गर्म पानी से नहाएं।
- फफूंद और खुजली- पैर गीले न रहने दें। नमी वाली जगह पर फिटकरी वाला पानी लगाएं।
- फ्लू का टीका- बुजुर्ग और छोटे बच्चों को खास ध्यान दें।

4. समाज/संघ के स्तर पर किया जा सकता है

1. जागरूकता रैली- संघ के युवा ÷स्वच्छता और स्वास्थ्य÷ पर नुक्कड़ नाटक और पर्चे बांटें।

2. साफ - सफाई अभियान- नालियों की सफाई, कचरा उठवाना, कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाना।
4. ओ आर एस और दवा किट- हर घर में ओ आर एस के पैकेट और बुखार की दवा किट बंटवाए।
5. जरूरी सावधानियां

- बिजली के तार और खंभों से बारिश में दूर रहें।
- कच्चे घर की दीवारों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों।
- बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, घरेलू इलाज न करें।

याद रखें- ÷रोकथाम, इलाज से बेहतर है÷। थोड़ी सी सावधानी से पूरा परिवार और पूरा समाज स्वस्थ रह सकता है।

लेखक
अतर सिंह भारतीय
जन संपर्क अधिकारी,
नेशनल हॉस्पिटल, भोपाल

अनूपपुर में 1 और 2 के सिक्कों पर अघोषित प्रतिबंध, दुकानदार लौटा रहे वैध मुद्रा, आम जनता परेशान

प्रशासन की चुप्पी से दुकानदारों के हौसले बुलंद, भारतीय मुद्रा का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की दरकार

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर
जिले के शहरी इलाकों और ग्रामीण हाट-बाजारों में स्थिति दिन-प्रतिदिन बेहद गंभीर और चिंताजनक होती जा रही है। किसी भी दुकान पर ?1 या ?2 का सिक्का लेकर पहुंचने वाले ग्राहक को सीधे अपमानित कर लौटा दिया जाता है। छोटे आकार और विभिन्न डिजाइनों के सिक्कों को लेकर स्थानीय स्तर पर मनगढ़ंत अफवाहें फैला दी गई हैं। बैंक और थोक व्यापारियों द्वारा सिक्के न लेने का झूठा बहाना बनाकर फुटकर व्यापारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिबंधात्मक आदेश या जांच अभियान शुरू नहीं किया गया है। जनहित में अब यह जरूरी हो गया है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर मुद्रा के इस अघोषित बहिष्कार को रोके।

खुले पैसों पर मनमानी- सिक्कों के बदले जबरन टॉफी थमाने का नया चलन

बाजार में खरीदारी के दौरान व्यापारियों का दोहरा रवैया खुलेआम देखने को मिल रहा है। जब किसी ग्राहक को बाकी पैसे लौटाने होते हैं, तो दुकानदार नकदी देने के बजाय जबरन टॉफी या गुटखा पाउच थमा देते हैं। इसके विपरीत, जब वही ग्राहक सामान की एवज में ?1 या ?2 का सिक्का भुगतान करता है, तो उसे लेने से साफ मना कर दिया जाता है। सिक्के को ÷बंद हो गया है÷ कहकर लौटाने से आए दिन दुकानों पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। इस जबरन थोपी गई व्यवस्था से रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने वाले आम नागरिकों का बजट और समय दोनों खराब हो रहे हैं।

अफवाहों पर टिका बहिष्कार- आरबीआई के सभी सिक्के पूरी तरह वैध और सुरक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक (ऋक्ष्ठ) ने अपने कई परिपत्रों में स्पष्ट किया है कि विभिन्न आकार, डिजाइन और धातुओं में जारी सभी सिक्के पूरी तरह वैध हैं। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा ?1 और ?2 के किसी भी सिक्के के चलन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद जिले के बाजारों में भ्रामक प्रचार और अफवाहों के दम पर सिक्कों का अवैध बहिष्कार किया जा रहा है। छोटे सिक्कों के बंद होने की झूठी खबरें फैलाकर व्यापारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। यदि समय रहते जागरूकता और सही जानकारी का प्रसार नहीं हुआ, तो यह भ्रम अन्य छोटे सिक्कों तक भी तेजी से फैल जाएगा।

कानूनी शिकंजा देश की वैध मुद्रा अस्वीकार करना गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध

कानूनी और बैंकिंग जानकारों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी वैध मुद्रा को स्वीकार करने से मना करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्) और करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत ऐसा कृत्य राष्ट्रीय मुद्रा के अपमान के दायरे में दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या व्यापारी के खिलाफ दंडात्मक प्रकरण और चालानी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों को भी अनिवार्य रूप से सिक्के जमा करने का नियम है। बैंकों द्वारा सिक्के लेने में आनाकानी करना भी इस समस्या को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण बन रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही- मुनादी, जांच दल और दोषी दुकानों पर सीलिंग की दरकार पड़ोसी जिलों और अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर अनूपपुर जिला प्रशासन को भी इस मनमानी पर तत्काल कड़ा रुख अपनाना होगा। जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउडस्पीकर से मुनादी कराई जाए। प्रशासन को विशेष उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) गठित कर औचक निरीक्षण करना चाहिए और सिक्के लौटाने वाली दुकानों को सील करना चाहिए। साथ ही, लीड बैंक अधिकारी (स्ठरू) के जरिए सभी बैंक शाखाओं को सिक्के अनिवार्य रूप से जमा करने के सख्त आदेश दिए जाएं। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस अघोषित प्रतिबंध को समाप्त कराने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाना अनिवार्य है।

दिन में गांवों की रेकी, रात में बिजली के तारों पर धावाः मण्डी पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपी दबोचे

सीहोर।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली के तार चोरी कर विद्युत व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गिरोह का थाना मण्डी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशादेही पर करीब 2.5 क्विंटल बिजली के तार, मोटरसाइकिल, रस्सा और कटर सहित करीब 2 लाख 50 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में तार चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य घटनाओं और गिरोह से जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

दिन में करते थे रेकी, रात के अंधेरे में काटते थे तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी का बाकायदा तरीका बना रखा था। मुकेश शाक्य, उत्तम शाक्य और रंजीत ठाकुर मोटरसाइकिल से दिन के समय अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बिजली की लाइनों और आसपास के स्थानों की रेकी करते थे। इसके बाद रात के समय मौका देखकर बिजली के तारों को रस्सी के सहारे नीचे झुकाते और आरी व कटर की मदद से तार काटकर चोरी कर लेते थे।

चोरी किए गए तारों को बाद में कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया जाता था। पुलिस ने पूछताछ और आरोपियों की निशादेही के आधार पर सलमान कुरैशी को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर चोरी के तार खरीदने का आरोप है।

भटोनी, जताखेड़ा और लालाखेड़ी में हुई थी तार चोरी

15 अगस्त 2026 को थाना मण्डी पुलिस को सीहोर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के तार चोरी की घटनाओं की जानकारी मिली थी। भटोनी, जताखेड़ा, लालाखेड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए थाना मण्डी में अपराध क्रमांक 255/2026, धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना मण्डी पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में बिजली तार चोरी करने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया।

2.5 क्विंटल तार और चोरी में इस्तेमाल सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं निशादेही से करीब 2.5 क्विंटल बिजली के तार, एक मोटरसाइकिल, एक रस्सा और एक कटर जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है। बरामद सामान से पुलिस को तार चोरी की वारदातों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

अन्य वारदातों का भी हो सकता है खुलासा

पुलिस द्वारा आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बिजली तार चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी के तार किन-किन स्थानों पर बेचे गए और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

ये आरोपी गिरफ्तार

मुकेश शाक्य, पिता शिवप्रसाद शाक्य, उम्र 38 वर्ष, निवासी कस्बा सीहोर
उत्तम शाक्य, पिता शिवप्रसाद शाक्य, उम्र 54 वर्ष, निवासी कस्बा सीहोर
रंजीत ठाकुर, पिता रामसिंह ठाकुर, उम्र 60 वर्ष, निवासी कस्बा सीहोर
सलमान कुरैशी, पिता शफीक कुरैशी, उम्र 36 वर्ष, निवासी मछली बाजार, सीहोर

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मण्डी निरीक्षक अर्चना सिंह चौहान, उप निरीक्षक राकेश कुमार पंथी, उप निरीक्षक दिनेश सहगल, प्रधान आरक्षक उमेश वर्मा, प्रधान आरक्षक दयाल सिंह, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र, आरक्षक कृष्णपाल, हरभजन, जितेन्द्र मेवाड़ा, रितेश, विनय, नेपाल सिंह (आसूचना) एवं चालक अबू सूफियान की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में चोरी की अन्य घटनाओं और संभावित रूप से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है।

बड़वारा के सोनारी गांव में 1 महीने से अंधेरा, आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापन

कटनी -जिले के बड़वारा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनारी में बीते एक महीने से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। मुख्य ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरे गांव में छाए अंधेरे और विद्युत विभाग की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को तहसील कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

रात में जहरीले जीवों का डर, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

ग्रामीणों ने बताया कि गांव का मुख्य ट्रांसफार्मर पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। बिजली न होने के कारण रात के समय अंधेरा रहता है, जिससे जहरीले जीव-जंतुओं और सांप-बिच्छू का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, बिजली आपूर्ति बाधित रहने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों के रोजमर्रा के कामकाज भी पूरी तरह ठप्प पड़े हैं।

हेल्पलाइन और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

आक्रोशित ग्रामीणों–जय सिंह धुर्वे, शेख सिकंदर, शेख खलील, प्रेमलाल रजक और जगदीश महोबिया सहित अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने बिजली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कई बार शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही स्थानीय लाइनमैन और संबंधित अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था बहाल नहीं की गई।

48 घंटे का अल्टीमेटम, विलायत कला-स्लीमानाबाद मार्ग पर चक्काजाम की चेतावनी

तहसील परिसर में प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटे के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई, तो वे विलायत कला-स्लीमानाबाद मार्ग पर चक्काजाम करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली सप्लाई शुरू करने की मांग की है।

ब्यौहारी में नियमों को ठेंगा दिखा कृषि भूमि की टुकड़ा-टुकड़ा बंदरबांट

राजस्व और रजिस्ट्री दफ्तर की साठ-गांठ से पनपा करोड़ों का खेल

शहडोल।

जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में भू-माफिया, बिचौलियों और भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत से जमीनों के अवैध कारोबार का खेल उजागर हुआ है। सरकारी नियमों, राजस्व संहिताओं और कायदे-कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए उपजाऊ कृषि भू-खंडों को एक-एक, दो-दो डिस्मिल के छोटे टुकड़ों में काटकर बेचने का एक संगठित रैकेट बीते कुछ वर्षों से धड़ल्ले से फल-फूल रहा है। इस पूरे काले साम्राज्य को खड़ा करने में राजस्व विभाग से लेकर उप-पंजीयक कार्यालय की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध और सवालों के घेरे में है।

सैकड़ों टुकड़े और 1 लाख रुपये डिस्मिल की खुली लूट

ब्यौहारी क्षेत्र के खसरा नंबर 346/6/2, 346/6/1, और 346/10/1 की लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि पर भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ी। यह पूरा भू-खंड पूर्व में नवल किशोर नामक व्यक्ति के नाम पर दर्ज था। नवल किशोर ने संजय नामक एक कथित बिचौलिए के साथ मिलकर जमीन की बिना किसी वैध कॉलोनी नाइजर लाइसेंस या डायवर्जन के धड़ाधड़ प्लाटिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते 10 एकड़ की कृषि भूमि को 1 डिस्मिल, 2 डिस्मिल के सैकड़ों

टुकड़ों में बांट दिया गया और लगभग 1 लाख रुपये प्रति डिस्मिल के हिसाब से भोली-भाली जनता को बेच दिया गया।

रजिस्ट्री से नामांतरण तक, कहां सो रहे थे जिम्मेदार

कृषि भूमि को इस तरह बिना डायवर्जन छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचना कानूनन पूरी तरह प्रतिबंधित और अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में प्रशासनिक महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी कृषि भू-खंड की रजिस्ट्री करने से पूर्व उप-पंजीयक को खसरा एवं खतौनी, जमीन का सटीक भू-स्थानिक खाका, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरी व ले-आउट यदि कृषि भूमि को छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी का डायवर्जन आदेश एवं कॉलोनी नाइजर लाइसेंस, देखना होता है, जब कृषि भूमि के 1-2 डिस्मिल के दर्जनों टुकड़े किए जा रहे थे, तब रजिस्ट्रार ने बिना टीएनसीपी स्वीकृत ले-आउट और डायवर्जन के रजिस्ट्री किस आधार पर की? क्या रजिस्ट्रार कार्यालय सिर्फ अपनी फीस काटने के लिए बैठा है या नियमों का पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी है?

दोषियों पर तय हो कड़ी कार्रवाई

यह सिर्फ ब्यौहारी का मामला नहीं, बल्कि पूरे जिले के राजस्व तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की बानगी है। इस फर्जीवाड़े में शामिल नवल किशोर, संजय और उनके तमाम सहयोगियों पर तत्काल प्रभाव से धोखाधड़ी, अवैध कालोनाइजर एक्ट और बेनामी संपत्ति/ब्लैक मनी के तहत प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही, जिन पटवारियों, तहसीलदारों और उप-पंजीयकों की शह पर यह अवैध खेल सालों-साल चलता रहा, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच बैठाकर सेवा समाप्ति और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इस खुले फर्जीवाड़े पर क्या रुख अपनाता है? क्या भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के इस गठजोड़ पर बुलडोजर चलेगा या फिर फाइलों को ठंडे बस्ते में दबाकर इस पूरे मामले पर लीपापोती कर दी जाएगी?

पटवारी और तहसीलदार की संदिग्ध चुप्पी

जमीन के नामांतरण के समय हल्का पटवारी और संबंधित तहसीलदार की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि पटवारी को मौके का पंचनामा और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट देनी होती है कि क्या कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग या निर्माण हो रहा है। तहसीलदार को नामांतरण की धारा 109/110 के तहत इश्तहार जारी कर आपत्तियां मंगानी होती हैं और यह सुनिश्चित करना होता है कि बटांक नियमों के अनुकूल है या नहीं। जब एक ही खसरा नंबर से दर्जनों बटांक निकल रहे थे, तब पटवारी और तहसीलदार ने इस अवैध कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगाई? नामांतरण की प्रक्रिया किस लेन-देन के एवज में आंख मूंदकर पूरी की गई?

हो सकती है रजिस्ट्रियां शून्य

कानूनी जानकारों की माने तो, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता और पंजीकरण अधिनियम के तहत बिना वैध ले-आउट मंजूरी और अवैध कॉलोनी निर्माण के उद्देश्य से की गई कृषि भूमि की ऐसी रजिस्ट्रियां पूरी तरह अवैध और शून्य घोषित की जा सकती हैं। कलेक्टर धारा 165 एवं संबंधित औपनिवेशिक नियमों के उल्लंघन के आधार पर उप-पंजीयक द्वारा निष्पादित ऐसी रजिस्ट्रियों को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय01 में वाद दायर करा सकते हैं। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं पंचायत राज/नगरीय निकाय अधिनियम के तहत बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों

काले धन को सफेद करने का चक्रव्यूह

इस पूरे सौदेबाजी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वित्तीय अनियमितता है। अगर नवल किशोर और उसके कथित सहयोगी संजय के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट या गहन जांच की जाए, तो लाखों रुपये की इस जमीन बिक्री का अधिकांश लेन-देन बैंक खातों में दर्ज ही नहीं है। आरोप है कि यह पूरा अवैध कारोबार नगद में अंजाम दिया गया। सीधा सवाल उठता है कि क्या ब्यौहारी में काले धन को सफेद करने के लिए कृषि भूमि को ढाल बनाया गया या फिर सरकार को लाखों के स्टाम्प शुल्क और टैक्स का चूना लगाने के लिए नवल-संजय की जोड़ी ने यह साजिश रची?

सावन की रिमझिम फुहारों के बीच भैंसदेही में लहराया तिरंगा

भैंसदेही

सावन की रिमझिम फुहारों के बीच शनिवार को भैंसदेही नगर में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। नगर का गांधीधाम मुख्य समारोह का केंद्र रहा, जहां नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तिरंगा लहराते ही पूरा गांधीधाम देशभक्ति के रंग में रंग गया। मुख्य समारोह में नगर की विभिन्न शालाओं के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 21 अगस्त को ग्राम पंचायत अमिलिहा में आयोजित होगा शिविर

उमरिया

जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित होगा। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने जिला और खण्ड स्तर के सभी अधिकारियों को शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा जनसंवाद एवं उद्योग संवाद में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अधिकारी शिविर में शामिल होने से पूर्व ग्रामों एवं शहरी वार्डो मे पहुंचकर अपने अधीनस्थ कार्यालयों, छात्रावास, विद्यालय , अस्पताल, उचित मूल्य दुकान एवं अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे तथा तदुपरांत दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित जन संवाद स्थल में उपस्थित होकर अपने अपने विभाग के किए गए निरीक्षण की विस्तृत जानकारी से अवगत कराएंगे तथा शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। अगस्त माह में आयोजित होने वाले शिविरों के क्रम में 21 अगस्त को जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत अमिलिहा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शिविर लगेगा। इसमें ग्राम पंचायत अमिलिहा, कुसमहाखुर्द, चंदनिया, खोलखम्हरा, मालाचुआ, नरवार, शाहपुर, रौगढ़, हथपुरा, औढ़ेरा एवं महरोई के साथ ही नगर परिषद पालिका परिषद पाली के वार्ड नंबर 9 विरासिनी देवी में अधिकारी भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे तथा संबंधित शासकीय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे ।

भुजलियों से पहले ही दे दी बड़ी सौगात

लटेरी

न प अध्यक्ष श्रीमति भण्डारी एवं विधायक प्रतिनिधि संजय (अत्तू भण्डारी) के प्रयास से लगभग 13 लाख की लागत से बिजली घर से तलब पहुँच मार्ग का निर्माण करा दिया गया साथ ही मुख्यमंत्री सौंदर्य कारण योजना से तलब का सौंदर्य कारण के साथ भी भुजलिया घाट का भी निर्माण करा दिया गया गोरतलब है की लगभग 35 वर्षो से भुजलियों के पर्व के समय भुजलीया विसर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी श्रीमति शैलेश -संजय भण्डारी के प्रयासों के कारण ये भी संभव हो सका है नगर को ऐसे ही युवा पीढ़ी के अध्यक्ष की आवश्यकया थी जो की नगर का चारों ओर से विकास कर सके आज लगभग नगर की कोई गली बाकी न होगी जिसका निर्माण श्रीमति शैलेश

– संजय भण्डारी के कार्यकाल मे न हुआ हो ।

बिजली विभाग से हनुमान मंदिर तालाब तक सीसी रोड के निर्माण के साथ ही डिवाइडर का निर्माण , तालाब के चारों ओर रेलिंग का निर्माण ,व्रक्षारोपण आदि । नगर मे प्रत्येक कारी की पूर्व से चिंता एवं उस की व्यवस्था करना यही एक अच्छे अध्यक्ष की पहचान होई है ओर एस पर लटेरी की युवा अध्यक्ष ओर युवा विधायक प्रतिनिधि ने एस कसोटी पर खरे उतार कर बताया ।

अतिथि शिक्षकों ने स्थाई नीति की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

23 अगस्त को जिला मुख्यालय में सरकार के घेराव की दी चेतावनी

मण्डला।

अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्यप्रदेश के प्रांतव्यापी आवाहन पर रविवार 16 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कलेक्टर के हाथों ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष पी.डी. खैरवार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए स्थाई नीति बनाने और लंबित समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि स्थाई नहीं करके समान कार्य-समान वेतन तो दूर, सीधी भर्ती, प्रमोशन और अन्य नीतियों के कारण कभी भी बेरोजगार कर दिए जाने की नीति 18 वर्षों से सरकार बंद नहीं कर रही है। संगठन की प्रमुख मांगों में कम से कम 7 शिक्षा सत्र या 1000 कार्यदिवस पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों को अधिकतम अनुभव के आधार पर 12 माह सेवाकाल और जीवन पर्यन्त सेवा पर रखने, अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बनाने, शिक्षक भर्ती पात्रता नियम शर्तों के अनुसार संविदा शिक्षक बनाकर गुरुजी, औपचारिकेत्तर अनुदेशक पर्यवेक्षक की तर्ज पर नियमित रोजगार से जोड़ने।

ग्वालियर व्यापार मेला परिसर को सालभर सक्रिय बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय

ग्वालियर

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को ग्वालियर व्यापार मेला कार्यालय में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक जादौन, उपाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह एवं मेला सचिव श्री एस.बी. त्रिपाठी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।बैठक में ग्वालियर व्यापार मेला परिसर के विकास, वर्षभर उपयोगिता बढ़ाने तथा परिसर को निरंतर आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मेला प्राधिकरण को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर व्यापार मेला परिसर का उपयोग केवल वार्षिक व्यापार मेले तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे वर्ष विभिन्न आयोजनों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से परिसर को सक्रिय रखा जाए।

हर दो माह में आयोजित हों विभिन्न मेले

श्री तोमर ने निर्देश दिए कि मेला परिसर की वर्षभर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दो माह में अलग-अलग विषयों एवं क्षेत्रों से संबंधित मेले आयोजित किए जाएं। इनमें व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प,

ऑटोमोबाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनियों को शामिल किया जा सकता है। इस पहल से न केवल मेला परिसर में लगातार गतिविधियां बनी रहेंगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, लघु उद्योगों, कारीगरों, उद्यमियों एवं आम नागरिकों को भी एक बड़ा व्यावसायिक मंच उपलब्ध होगा।

मेला विकास का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए

बैठक में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर व्यापार मेले के समग्र विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला परिसर के भविष्य के विकास, आधारभूत सुविधाओं, नवीन निर्माण, आधुनिक सुविधाओं, व्यापारिक गतिविधियों एवं वर्षभर के उपयोग को ध्यान में रखते हुए एक समग्र विकास प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा उसकी एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। इससे ग्वालियर व्यापार मेले को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर के स्थायी व्यापार एवं प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सावन मेले का भी किया भ्रमण

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित सावन मेले का भ्रमण किया। उन्होंने मेले में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों का अवलोकन किया तथा मेले में उपलब्ध मनोरंजन एवं अन्य सुविधाओं का आनंद लिया। भ्रमण के दौरान उन्होंने नायग्रा वाटरफॉल का भी आनंद लिया और वहां पानी की टिक्की का स्वाद लिया। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया, श्री अशोक जैन प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा अन्य सैंकडों कार्यकर्ताओं के साथ मेला घूमे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने मोहा मन

सावन मेले के भ्रमण के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों की विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जमकर सराहना की। नन्हे कलाकारों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार प्रस्तुतियों को देखकर श्री तोमर ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनकी प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक मंच बच्चों की प्रतिभा को निखारने और हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपस्थित दर्शकों ने भी बच्चों की प्रस्तुतियों की खूब सराहना की और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया।

भितरवार क्षेत्र में अवैध रेत के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

ग्वालियर

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के नेतृत्व में जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अनुविभागीय अधिकारी भितरवार श्री राजीव समाधिया के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लगभग 90 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई तथा एक बिना रॉयल्टी व बिना नम्बर प्लेट के रेत भरे ट्रेक्टर को पकड़कर पुलिस थाना भितरवार के सुपुर्द किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भितरवार श्री राजीव समाधिया के नेतृत्व में तहसीलदार श्री शिवदत्त कटारे, नायब तहसीलदार श्री शिवदयाल शर्मा, नायब तहसीलदार श्री महाराज सिंह सगर, पटवारी एवं कोटवार तथा पुलिस बल थाना भितरवार के साथ ग्राम हरसी तथा जखवार में चार स्थानों पर अवैध तरीके से डम्प की गई रेत को जप्त कर कोटवार व रेत ठेके कम्पनी के कर्मचारी की सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त किया गया रेत लगभग 90 ट्रोली के आसपास है। एक बिना रायल्टी व बिना नम्बर ट्रेक्टर रेत से भरे हुए को पकड़ कर पुलिस की सुपुर्दगी में थाना भितरवार में रखवाया ।

प्रदेश में उर्वरक उपलब्धता पर्याप्त एवं उर्वरक वितरण अब अभियान के रूप में हर किसान को अग्रिम के रूप मे देने की योजना

ग्वालियर

किसानो को सुगमता से उर्वरक वितरण को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वद्वद्वह्य पोर्टल एवं प्रदेश के उर्वरक विक्रेता (रिटेलर) के स्टॉक का (मिलान) करने हेतु 14 अगस्त की शाम 7.00 बजे से उर्वरक विक्रय 15 एवं 16 अगस्त को अवकाश के दिनों मे बंद किया गया हैं, मिलान का कार्य तेजी से किया जा रहा हैं , जो की सोमवार 17 अगस्त से पप्रारंभ होगा ।

किसानो को तकलीफ़ नहीं होगी, दिनांक 17 अगस्त से जितनी खाद चाइए उतनी मिलेगी , यह सुनिश्चित है ।

साथ ही , दिनांक 20 अगस्त से हर किसान हर घर , हर खेत खाद अभियान भी प्रारम्भ हो रहा है, ताकि रबी की खाद इसी माह से किसानों को मिलना प्रारम्भ हो जाये। प्रदेश में रासायनिक उर्वरको का पर्याप्त भंडारण है, 1अप्रेल से अभी तक यूरिया की कुल उपलब्धता 17.04 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 12.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उठाव किसानो द्वारा किया गया हैं, वर्तमान में 4.21 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता हैं, जबकि विगत वर्ष इसी समय यूरिया की उपलब्धता 1.60 लाख मीट्रिक टन थी।

प्रदेश में 1अप्रेल से अभी तक डी ए पी एवं एन पी के की कुल उपलब्धता 11.20 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 7.09 लाख मीट्रिक टन का उठाव किसानो द्वारा किया गया हैं, वर्तमान में 4.10 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता हैं, जबकि विगत वर्ष इसी समय डी ए पी + एन पी के की उपलब्धता 3.00 लाख मीट्रिक टन थी। प्रदेश में 1अप्रेल से अभी तक एस एस पी की कुल उपलब्धता 6.78 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 3.61 लाख मीट्रिक टन का उठाव किसानो द्वारा किया गया हैं, वर्तमान में 3.17 लाख मीट्रिक टन एस एस पी की उपलब्धता हैं।

विकास, नवाचार और जनकल्याण की कहानी समेटे है 'बदलते दौर का मध्यप्रदेश'

ग्वालियर

देश और प्रदेश में हुए विकास और नवाचारों पर केन्द्रित एक विकास पुस्तिका ÷बदलते दौर का मध्यप्रदेश÷ प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये प्रकाशित की गई पृथक-पृथक पुस्तिका में प्रदेश और देश में हुए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की गई विकास गाथा की यह पुस्तिका जिले के साथ-साथ प्रदेश में हुए विकास को भी प्रदर्शित कर रही है। ग्वालियर जिले की विकास पुस्तिका स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ÷बदलते दौर का मध्यप्रदेश÷ पुस्तिका भी आमजनों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनी। ग्वालियर जिले के विकास कार्यों और नवाचारों पर केन्द्रित इस पुस्तिका में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार द्वारा विकास के लिये क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर केन्द्रित

की गई है। इसके साथ ही ग्वालियर जिले में आम जनों के हितार्थ किए गए नवाचारों को भी इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की पहल पर लागू की गई ÷शक्ति दीदी÷ पहल, स्कूली छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये संचालित शिक्षा मित्र योजना, अग्नि सुरक्षा के लिये किए गए नवाचार ÷अग्नि सुरक्षा मेला÷, छात्र-छात्राओं को उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये लगाए गए पुस्तक मेले के साथ-साथ शहर विकास की सभी प्रमुख योजनाओं को भी इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। जनसंपर्क विभाग ग्वालियर द्वारा यह पुस्तिका न केवल जिले के जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथियों बल्कि आमजनों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह पुस्तिका आमजनों को शासन की योजनाओं एवं शहर में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिये एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)